

आवास वित्त

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 30 सितंबर /31 मार्च की  
स्थिति के अनुसार 'आवास वित्त' श्रेणी के अंतर्गत मंजूर की गई वित्तीय सहायता

रिज़र्व बैंक के प्रयोग हेतु

--	--	--

1. बैंक का  
नाम

--

मू. सा.विव. बैंक कार्य कोड

--

2. अखिल भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

--

1. लाभार्थियों को प्रत्यक्ष ऋण

(राशि लाख रुपये)

सं.	मद	छमाही के दौरान संवितरित						छमाही के अंत में बकाया					
		कुल		इसमें से				कुल		इसमें से			
				ग्रामीण		अर्द्ध शहरी				ग्रामीण		अर्द्ध शहरी	
खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि	खा तों की सं.	रा शि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10	योग (11+ 12+ 13+ 14)												
	रु. 50,000 तक के ऋण की राशि												

11	अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) के व्यक्ति/व्यक्ति- समूह (सहकारी आवास समितियों सहित)												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति/व्यक्ति-समूह (सहकारी आवास समितियों सहित)												
	रु. 50,000 से अधिक के ऋण की राशि												
13	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/ व्यक्ति- समूह (सहकारी आवास समितियों सहित)												
14	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न व्यक्ति/व्यक्ति-समूह (सहकारी आवास समितियों सहित)												

II. एजेन्सियों/संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया जाना (अप्रत्यक्ष ऋण दिया जाना)

सं.	मद	अर्द्ध वर्ष में संवितरित		अर्द्ध वर्ष के अंत में बकाया	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	योग (21+22+23+24+25+26)				
21.	हुडको				
22.	राज्य आवास बोर्ड				
23.	अन्य राज्यस्तरीय एजेंसियाँ				
24.	आवास वित्त संस्थाएँ (एच. डी. एफ. सी. से भिन्न)				
25.	एच. डी. एफ. सी.				
26.	अन्य				
	इसमें से अनु. जाति/ जनजाति के लिए				
30.	योग (31+32+33+34+35+36)				
31.	हुडको				
32.	राज्य आवास बोर्ड				
33.	अन्य राज्यस्तरीय एजेंसियाँ				
34.	आवास वित्त संस्थाएँ (एच. डी. एफ. सी. से भिन्न)				
35.	एच. डी. एफ. सी.				
36.	अन्य				
40.	उप-योग (10+20)				
41.	उप-योग (11+13+30)				

III. बांडों / डिबेंचरों में निवेश

सं.	मद	अ अर्ध वर्ष में संवितरित		अर्द्ध वर्ष के अंत में बकाया	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	जोड़ (60+70+80+90)	X		X	
	गारंटीकृत बांड /डिबेंचर	X	X	X	X
60.	राष्ट्रीय आवास बैंक	X		X	
70	हडको	X		X	
	अन्य बांड (अर्थात् जिनमें कोई गारंटी नहीं दी गयी है।)	X	X	X	X
80.	राष्ट्रीय आवास बैंक	X		X	
90.	हडको	X		X	
100	कुल योग (40+50)				

विवरण संकलित करने के संबंध में अनुदेश

1. यह विवरण फूलस्कैप पेपर (32 सें. मी. 21 सें. मी.) पर ही अनुप्रस्थ (हॉरिजेंटली) तैयार किया जाना चाहिए ताकि कंप्यूटर द्वारा इस की प्रोसेसिंग की जा सके। इसके अलावा स्तंभ संख्याओं व मद संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
2. ब्लॉक I और ब्लॉक II में अखिल भारतीय और प्रत्येक राज्य /संघराज्य क्षेत्र के अलग-अलग आँकड़े दिए जाने चाहिए तथा ब्लॉक III में केवल अखिल भारतीय आँकड़े दिए जाने चाहिए।
3. ब्लॉक I में दिखायी गयी राशि में आवास ऋण की वह राशि भी शामिल की जानी चाहिए जिसके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त लिया गया है।
4. बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया आवास ऋण आवास वित्त श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि उसे इस विवरण में नहीं शामिल किया जाना चाहिए।
5. सहकारी आवास समितियों को दिया गया ऋण ब्लॉक I में मद 11 और 13 के अंतर्गत तभी शामिल किया जाना चाहिए जब कुल सदस्यों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो।
6. ग्रामीण - 10000 तक की जनसंख्या वाले केंद्र।  
अर्ध-शहरी - 10,000 से अधिक तथा 1,00,000 तक की जनसंख्या वाले केंद्र।
7. मद 23 और 33 पर 'अन्य राज्यस्तरीय एजेंसियाँ' के अंतर्गत, उदाहरणार्थ, ग्रामीण / शहरी/आवास निगम, स्लम क्लियरेंस बोर्ड, इत्यादि शामिल होंगे।
8. मद 26 और 36 पर 'अन्य' के अंतर्गत नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, निर्माण कंपनियाँ /बिल्डर, भवन हेतु भूमि विकसित करने वाले शामिल होंगे।